संख्या-1374/सात-न्याय-2-09-227 जी/08

प्रेषक,

श्री एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2009

विषय:- रिट पिटीशन (सी)संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-08 सपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, के अर्धशासकीय पत्रांक 12957/वी.ई.-60/एडमिन डी दिनांक 14-10-2008 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-2071/सात-न्याय-2-08-132जी/08, दिनांक 29 सितम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या-3565 व 3566/सात-न्याय-2-08-132जी/08 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं संख्या-3568/सात-न्याय-2-08-227 जी/08, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी)संख्या-1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 सपठित आदेश दिनांक 15-7-2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग(शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अधीनस्थ न्यायालयों के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक, जिनका संशोधित पदनाम शासनादेश संख्या-3568/सात-न्याय-2-08-227जी/08, दिनांक 18-10-2008 द्वारा "स्टेनोग्राफर ग्रेड-I" कर दिया गया है, का वेतनमान रू06500-10500/- को उच्चीकृत करते हुये वेतनमान रू07450-11500/=

-2-

किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सह स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क- स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 के लिये उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1-4-20 प्रभावी माना जायेगा ।

ख- उच्चीकृत वेतनमान में स्टेनोग्राफर-1 का प्रारम्भिक वेतन वित्त नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के मूलनियम 22 के नीचे दिये गये सम्परीक्षा निदेशों के प्रस्तर-4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । उन्हें उच्चीकृत वेतनमान में वित्तीय नियम संग्रह -खण्ड-2 भाग-2, 4 के मूल नियम -23॥ के अनुसार विकल्प देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

2- उपयुक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-20 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशा आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त ॥वेतन आयोग॥ अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या वे0आ0-1-250/दस-09, दिनांक 6-5-2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

॥एस0 एम0 ए0 आबदी॥
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1374॥1॥/सात-न्याय-2-09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त ॥वेतन आयोग॥ अनुभाग-1/2 तीन तीन प्रतियों में ।
4- महालेखाकार ॥लेखा एवं हकदारी॥1/2 तथा आडिट 1/2 उ0प्र0, इलाहाबाद ।

5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विधि कोष्ठक, बी0सी0आई0 भवन, 21 राऊज एवेन्यु, उदूंकर मार्ग, नई दिल्ली ।

6- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।

7- वित्त ‍‍(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण)-12

8- न्याय अनुभाग-9 (बजट)

9- गार्ड बुक हेतु

10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(डी0 गोकुलेश)
विशेष सचिव ।

अवलोकित, अनुपालन हेतु प्रति जिला/न्याय अनुभाग को दी जाये।
जिला न्यायाधीश
5-6-04